न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 09/2022

रोहिताश्व कुमार पुत्र बनवारीलाल, उम्र 47 वर्ष जाति गुर्जर, निवासी कुठानियां, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, (राज0)।

–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिंघाना ,तहसील बुहाना,जिला झुन्झुनू (राज0)।

––रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय 17.01.2022 न्यायालय नायब तहसीलदार
सिंघाना मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रोहताश
अं0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट मुकदमा नंबर 255/2021

उपस्थितिः–

1 .श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट –– –––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता ––––– राज0 सरकार की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 31.5.24

पत्रावली पेश हुई। उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.01.2022 मुकदमा नंबर 255/2021 बमुकदमा उनवानी सरकार, बनाम रोहताश अं0 धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि– "पटवारी हल्का मोई सद्दा ने एक रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की कि ग्राम कुठानियां की राजकीय भूमि गैर मुमकिन नाला के खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर में से रकबा 0.03 हैक्टर भूमि पर अतिकमी रोताश ने पश्चातवृति अतिकमण अवैध खनन कब्जा बान करके अतिकमण कर लिया है। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस जारी किया गया जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.12.2021 को न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested

में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा गैर सायल की ओर से दिनांक 21.12.2021 जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक की साक्ष्य हेतु पेशी नियत की गई। दिनांक 27.12.2021 को भू–अभिलेख निरीक्षक के बयानात लिये गये पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 30.12.2021 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 17.1.2022 को प्रार्थी अपीलांट को बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया तथा अपने निर्णय में यह पारित किया कि गैर सायल रोताश द्वारा कुठानिया स्थित भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै.मु. नाला की 0.03 हैक्टर भूमि पर अवैध खनन बान लगाकर पश्चातवृति अतिक्रमण किये जाने एवं आदतन अतिचारी की श्रेणी में पाये जाने के फलस्वरूप राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली दिये गये तथा आदतन अतिचारी मानते हुये 3 माह की कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है तथा हल्का पटवारी को मौके से खड़ी फसल को कुर्क कर कब्जे राज ली जाकर निलामी कार्यवाही की जाने तथा मौके से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश आदि जारी किये गये जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का पी0 ओ0 अपीलांट से पूर्व से ही द्वैषता रख रहा था और जानबूझकर बिना मौके की रिपोर्ट एवं भौतिक सत्यापन के ही उक्त औलौच्य निर्णय पारित कर दिया । दिनांक 27.12.2021 को भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान लेखबद्ध किया जाना अंकित किया है जबकि उक्त गवाह से न तो जिरह की गई है ना ही ऐसा अंकन है कि प्रार्थी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और उसने जिरह करने से इन्कार किया हो। न्यायालय द्वारा ना ही उनकी उपस्थिति में बयान लेखबद्ध किये गये और ना ही जिरह का अवसर प्रदान किया गया, एकतरफा बयान के आधार पर निर्णय पारित किया गया है तथा समस्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धात के विपरीत जाकर द्वैषता पूर्ण की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.12.2021 के लिए जो नोटिस जारी किया गया था वह नोटिस धारा 91 भू. राजस्व अधिनियम के तहत जारी किया गया था जबकि निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रार्थी अपीलांट को धारा 91 (3) के तहत पश्चातवृति अतिक्रमी का नोटिस जारी किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर अपीलांट के विरुद्ध कार्यवाही रिकार्ड के विपरित जाकर की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में अपना जवाब प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट ने स्वीकृति इस बाबत दी है कि दिनांक 14.10.2021 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested

किया गया अतिक्रमण हटा लिया गया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया था कि वह फसल काटने के पश्चात तारबन्दी हटा लेगा, क्योंकि मौके पर ना तो कोई तारबन्दी हुई है और ना ही कोई फसल काश्त की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने भौतिक रिपोर्ट के बिना एवं बिना मौके की जांच किये ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना का निर्णय दिनांक 17.1.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि– ''पटवारी हल्का मोई सद्दा की रिपोर्ट दिनंक 29.11.2021 के आधार पर नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा दिनांक 30.11. 2021 को पश्चातवर्ती अतिक्रमी की रिपोर्ट पर ग्राम कुठानियां के भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै.मु. नाला में से 0.0300 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अवैध खनन कब्जा करके अतिक्रमण कर लिया गया। इस बाबत नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा प्रकरर्ण दर्ज कर धारा 91 के तहत दिनांक 16.11.2021 को पेश होने का नोटिस दिया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2021 की आदेशिका में पूर्व में आगामी पेशी 21.12.2021 नियत की थी। अपीलान्ट दिनांक 16.12.2021 को न्यायालय में उपस्थित रहा तब अपीलान्ट से आदेशिका पर दो जगह हस्ताक्षर करवाये गये, उसके पश्चात उक्त दिनांक 21.12.2021 के स्थान पर दिनांक 16.12.2021 नियत की थी। उक्त तारीख पेशी बदलने बाबत आदेशिका में पीठासीन अधिकारी के कोई लघु हस्ताक्षर नहीं है। पुनः दिनांक 21.12.2021 को प्रार्थी अपीलांट न्यायालय में उपस्थित रहा, अपना जवाब नोटिस पेश किया। अपीलांट ने बिना आदेशिका लिखे ही हस्ताक्षर करवाये गये और बताया गया कि आगे कोई कार्यवाही होगी तो सूचना दे दी जायेगी। अथवा 1–2 दिन में न्यायालय में आकर पता कर लेना। इस प्रकार न्यायालय के [illegible] अधिकारी व उसके मातहत कर्मचारियों ने आदेशिका पर बिना लिखे हस्ताक्षर करवाये [illegible]। अधीनस्थ न्यायालय ने ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए प्रार्थी /अपीलांट को धारा 91 (3–क) भू–राजस्व अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sunkaria
Date: 2024.08.23 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested

के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया। इसलिए कानूनी प्रोविजन के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवृति अतिक्रमण के लिए भू–राजस्व अधि0 की धारा 91 में प्रकरण दर्ज किया गया जो कानूनी प्रोविजन के अनुसार धारा 91 (2) भू–राजस्व अधि0 में दर्ज कर नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट को भू–राजस्व अधि0 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया है, जबकि पश्चातवृति अतिक्रमण के लिए धारा 91 (3) के तहत नोटिस जारी करना एवं उक्त नोटिस का हवाला अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है। जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई नोटिस नहीं है तथा धारा 91 (3) के प्रोविजन्स में न्यायालय को अपने आदेश स्थगन आदेश जारी करने व अपील करने का अवसर दिये जाने का प्रावधान है एवं प्रार्थी की सजा निलम्बित करने का प्रावधान है। पश्चातवृर्ती अतिक्रमण के संबंध में नोटिस जारी करने का धारा 91(3–क) में प्रावधान है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस मामले में आज्ञापक प्रावधानों की अवहैलना की है। अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस प्रस्तुत कया गया तथा आगामी पेशी पत्रावली पर दिनांक 24.12.2021 नियत की गई परन्तु उक्त दिनांक को न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। दिनांक 24.12.2021 को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहा। दिनांक 27.12.2021 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान एक पक्षीय बिना सुनवाई के लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये तथा मामले में बिना बहस सुने ही दिनांक 17.1.2022 को न्यायालय की आदेशिका के अनुसार निर्णय कर दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के नर्णय क प्रथम पृष्ठ पर निर्णय की दिनांक 27.12.2021 के स्थान पर ओवरराईटिंग करके बिना लघुहस्ताक्षर के 17.1.2022 अंकित की हुई है तथा गैर सायल श्रीराम को गिरफतार करने हेतु थानाधिकारी सिंघाना को वारन्ट जारी हो का अंकन है। निर्णय के अन्तिम पृष्ठ पर संशोधन कर अंकन किया हुआ है कि श्रीराम पुत्र रतिराम को गिरफतार किया जावे के सीन पर रोहिताश पुत्र बनवारी को गिरफतार किया जावे। उक्त संशोधन के पृष्ठांकन में भी निर्णय की दिनांक 7.2.2022 होना अंकित किया गया है, इसलिए संशोधन किसके निवेदन पर किया गया पत्रावली पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं है। पटवारी हल्का मोई सद्दा द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक [illegible] 2021 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा पश्चातवृर्ती अतिक्रमण में 0.0300 हैक्टर भूमि पर अवैध खनन कब्जा बान की रिपोर्ट की है। उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने भूमि खसरा नंबर 348 के रकबा 0.200 हैक्टर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज की है उसको काटकर 0.03 हैक्टर भूमि किया है तथा अवैध खनन कब्जा काश्त के स्थान पर काश्त को काटकर बान किया है। इस प्रकार पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार मौके फसल को कुर्क कर कब्जे राज ली जाकर निलामी की कार्यवाही की जावे तथा मौके से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने का आदेश जारी हो । पटवारी हल्का की रिपोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष में काफी विरोधाभाष है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने लिखित बहस में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपनायी गई विधिक प्रक्रिया, निर्णय एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट आदि को लेकर कई तकनीकी एतराज प्रकट करते हुये, अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.01.2022 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस सारहीन एवं प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से परे कलेरिकल तकनीकी कमियों पर आपति प्रकट की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने लिखित बहस में ग्राम कुठानियां स्थित भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 नाला की 0.038 है0 भूमि पर अपीलांट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। प्रकरण में वास्तविक तथ्य यह है कि–" अपीलाट्स द्वारा सम्वत 2078 की खरीफ फसल के दौरान अवैध रूप से अतिक्रमण कर ग्राम कुठानियां स्थित भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 नाला की 0.038 है0 भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा आदेश बेदखली पारित किये गये थे, जिसकी पालना में अपीलांट को अतिक्रमित रकबे से भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कार्यवाही सम्पादित की गई। जिसकी प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। पटवारी हल्का मोईसद्दा द्वारा पुनः इस प्रकरण दिनांक 29.11.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम कुठानिया के खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै.मु.नाला के 0.0300 हैक्टर रकबे पर अवैध खनन बान लगा कर अपीलांट रोताश ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के [illegible] अपने जवाब नोटिस में यह स्वीकारोक्ति भी की गई है कि वह फसल काटने के बा[illegible]रबंदी हटा लेगा। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना ने विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट के जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested

नोटिस, बयानात हल्का पटवारी मोईसद्दा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक भैसावताखुर्द व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने एवं आदतन अतिचारी की श्रेणी में पाये जाने पर निर्णय दिनांक 17.01.2002 पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलांट को ग्राम कुठानियां स्थित भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 नाला की 0.038 है0 भूमि पर अतिक्रमी मानकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के मुकदमा संख्या 50/2020 अं0 धारा 91 एल.आर. एक्ट निर्णय दिनांक 24.8.2021 के द्वारा अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है जिसकी पालना में दिनांक 23.9.2021 को फसल निलामी कार्यवाही की जाकर फर्द तैयार की गई है तथा मौका रिपोर्ट बेदखली के अनुसार दिनांक 14.10.2021 को पुलिस जाब्ते के साथ गैर मुमकिन नाला को मौके पर खाली करवाया जाकर अपीलांट को बेदखल किया गया है। उसके बाद अपीलांट द्वारा ग्राम कुठानियां स्थित भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 नाला की 0.0300 है0 भूमि पर अतिक्रमण कर पुनः कब्जा करने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 29.11.2021 को तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण संख्या 255/2021 पुनः दर्ज किया जाकर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण में अपीलांट मय अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपथित हुआ है तथा अपनी ओर से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया है जिसमें पूर्व में किये गये अतिक्रमण से उसे बेदखल किये जाने एवं न्यायालय के आदेश पालना होने की बात भी स्वयं ने स्वीकार की है। प्रकरण में हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की लिखित साक्ष्य हुई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर उसका कब्जा/अतिक्रमण वैध हो इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि नदी/नाला की भूमि है जो विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार प्रति[illegible]णी की भूमि है। पत्रावली के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार [illegible] द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट के जवाब नोटिस, बयानात हल्का पटवारी मोईसद्दा एवं भू–अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested

निरीक्षक भैसावताखुर्द व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने एवं आदतन अतिचारी की श्रेणी में पाये जाने पर निर्णय दिनांक 17.01.2002 पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2022 उनवानी सरकार बनाम रोहताश मु0नं0 255/2021 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested